राजस्थान विधान सभा

सातवां सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 02 सितम्बर, 2016

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त, आबकारी एवं नगरीय विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

(अ) वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.2(30)वित्त/कर/2015-6 दिनांक 30.4.2016 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-6 के अन्तर्गत तहसीलदार/नायब तहसीलदार को पंजीयन कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकार प्रदान किये गये हैं ;
2. अधिसूचना संख्या:एफ.12(80)वित्त/कर/2014-7 दिनांक 6 मई, 2016 जिसके द्वारा अर्द्धसिले वस्त्रों को दिनांक 8 मार्च, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक करों में छूट प्रदान की गई है ;
3. अधिसूचना संख्या:एफ.12(80)वित्त/कर/2014-8 दिनांक 6 मई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;
4. अधिसूचना संख्या:एफ.12(80)वित्त/कर/2014-9 दिनांक 6 मई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है ;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(80)वित्त/कर/2014-10 दिनांक 6 मई, 2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(80)वित्त/कर/2014-11 दिनांक 6 मई, 2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)वित्त/कर/2009-21 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया गया है ;
7. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014-15 दिनांक 23 मई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

जारी..2..

8. अधिसूचना संख्या:एफ.2(44)वित्त/कर/2015-16 दिनांक 27 मई, 2016 जिसके द्वारा विद्युत निगमों को वर्ष 2008-2009 से 2011-2012 के दौरान आवंटित भूमि के संबंध में निष्पादित लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
9. अधिसूचना संख्या:एफ.2(10)वित्त/कर/2016-17 दिनांक 30 मई, 2016 जिसके द्वारा स्पैनफैड लिमिटेड़ के पक्ष में 38.18 बीघा के अमलगमेशन आदेश एवं विक्रय दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;
10. अधिसूचना संख्या:एफ.7(22)वित्त/कर/2011 दिनांक 30 मई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा की कैडर स्ट्रेन्थ का पुनर्निधारण किया गया है ;
11. अधिसूचना संख्या:एफ.12(34)वित्त/कर/2015-21 दिनांक 01 जून, 2016 जिसके द्वारा कैपटीव पावर पर जल संरक्षण उपकर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
12. अधिसूचना संख्या:एफ.12(34)वित्त/कर/2015-22 दिनांक 01 जून, 2016 जिसके द्वारा कैपटीव पावर पर नगरीय उपकर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
13. अधिसूचना संख्या:एफ.12(75)वित्त/कर/2013-23 दिनांक 03 जून, 2016 जिसके द्वारा मै0 हेमदा मेडीरिसोर्सेज प्रा0 लि0 किशनगढ़ को मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल से संबंधित गतिविधियों में उपभुक्त ऊर्जा के लिये विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई है ;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(61)वित्त/कर/2014-पार्ट-1-25 दिनांक 16 जून, 2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-211 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(61)वित्त/कर/2014-पार्ट-1-26 दिनांक 16 जून, 2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-211 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) की क्रम संख्या -48 में उल्लेखित माल के प्रवेश पर चुकाये गये कर में छूट प्रदान की गई है ;
16. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014-27 दिनांक 20 जून, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
17. अधिसूचना संख्या:एफ.2(30)वित्त/कर/15-28 दिनांक 27 जून, 2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 2(30)वित्त/कर/2015-6 दिनांक 30.4.2016 में संशोधन किया गया है ;
18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014-29 दिनांक 11.7.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

जारी..3..

19. अधिसूचना संख्या: एफ.24(9)वित्त/कर/2016-30 दिनांक 14.7.2016 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म धनक को दिनांक 18.6.2016 से 17.6.2017 तक मनोरंजन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

20. अधिसूचना संख्या: एफ.24(1)वित्त/कर/2014-31 दिनांक 18.7.2016 जिसके द्वारा डेली न्यूज एण्ड एनालाईसिस (डीएनए) को गोलछा थियेटर , जयपुर में 18.7.2016 से 31.8.2016 तक बाल फिल्म महोत्सव चरण-2 के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर में छूट प्रदान की गई है ; एवं

21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(111)वित्त/कर/2009-पार्ट-33 दिनांक 9 अगस्त, 2016 जिसके द्वारा विद्युत शुल्क की दर में संशोधन संबंधी अधिसूचना संख्या: एफ. 12(111)वित्त/कर/2009-पार्ट-114 दिनांक 6 जनवरी, 2011 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है ।

(ब) आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्या:एफ.4(12)वित्त/आब/2014 दिनांक 1 अगस्त, 2016, जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ।

(स) नगरीय विकास विभाग

1- अधिसूचना संख्या:एफ.1(1)नविवि/3/76पार्ट-II दिनांक 3 सितम्बर, 2015, जिसके द्वारा श्रीगंगानगर के नगरीय क्षेत्र जिसमें कतिपय राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान क्षैतिज वर्ष, 2035 तैयार करने हेतु अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर को नियुक्त किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या:एफ.10(21)नविवि/3/2011 दिनांक 18 सितम्बर, 2015, जिसके द्वारा पूर्व में अनुमोदित सिरोही मास्टर प्लान, 2031 के नगरीय क्षेत्र में स्थित ग्राम मण्डावर के कतिपय खसरों का भू-उपयोग हेतु परिवर्तन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या:एफ.3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 26 सितम्बर, 2015, जिसके द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये भूमि आवंटन नीति, 2015 जारी की गई है ;

4- अधिसूचना संख्या:एफ.10(90)नविवि/3/2008 पार्ट-I दिनांक 10.11.2015 जिसके द्वारा राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना, 2021(सब रीजनल प्लान-2021) का अनुमोदन किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या:एफ.11(2)नविवि/पाली/2015 दिनांक 10 जनवरी, 2016, जिसके द्वारा पाली शहर के नगरीय क्षेत्र जिसमें राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान, जयपुर को नियुक्त किया गया है ;

जारी..4..

6- अधिसूचना संख्या:एफ.1(32)नविवि/II/84/पार्ट दिनांक 18 जनवरी, 2016, जिसके द्वारा नगर सुधार न्यास, अलवर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर एवं चित्तौड़गढ़ में अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है ; एवं

7- अधिसूचना संख्या:एफ.1(32)नविवि/II/84/पार्ट दिनांक 18 जनवरी, 2016, जिसके द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ।

उद्योग विभाग

2- श्री गजेन्द्र सिंह, उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या:आरएफसी/एफ.पीए-23(1) दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेग्यूलेशन्स, 1958 के रेग्यूलेशन संख्या 75(1) में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

पंचायतीराज विभाग

3- श्री सुरेन्द्र गोयल, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री, पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एएम/रूल/लीगल/पीआर/2014/397 दिनांक 8 जून, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगे ।

ऊर्जा विभाग

4- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री, ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- अधिसूचना संख्या:राविविआ/विनि-114 दिनांक 19 जनवरी, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य सम्पादन –मानदण्ड) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 विरचित किये गये हैं ;

2- अधिसूचना संख्या:राविविआ/विनियम सं-115 दिनांक 27 जनवरी, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (खुला अभिगमन के लिये निबन्धन और शर्तें) विनियम, 2016 विरचित किये गये हैं ; एवं

3- अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनियम-116 दिनांक 15 मार्च, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र एवं अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा) विनियम, 2010 में संशोधन किया गया है ।

जारी..5..

पर्यावरण विभाग

5- श्री राजकुमार रिणवा, पर्यावरण राज्यमंत्री, पर्यावरण विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- अधिसूचना संख्या:जीएसआर.13 दिनांक 26 मई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या:जीएसआर.14 दिनांक 26 मई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ; एवं

3- अधिसूचना संख्या:पं.27(31)पर्या/78-पार्ट दिनांक 28 जुलाई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर में सदस्यों का मनोनयन किया गया है ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

प्रतिवेदन

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे : -

I- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) ;

II- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) ; एवं

III- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) ।

2- श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन, दिनांक 1 अप्रेल, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि का सदन की मेज पर रखेंगे ।

3- श्री सुरेन्द्र गोयल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3)(एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

4- श्री यूनुस खान, परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..6..

5- श्रीमती किरण माहेश्वरी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड़ के मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड़ का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगी ।

6- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 1971 की धारा-19(2) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य, विधान सभा, जहाजपुर तहसील मुख्यालय स्थित नागदी बांध की सफाई एवं मोडर्नाइजेशन कराये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(II) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के गांव रोजड़ी के निवासियों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

> "यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

5. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री प्रध्युमन सिंह, सभापति, जनलेखा समिति, 2016-2017 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 3.2.3 एवं 3.2.4 पशुपालन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 111वां प्रतिवेदन ।
2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.2 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 112वां प्रतिवेदन ।

जारी..7..

3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 7.1 से 7.2.13 वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 113वां प्रतिवेदन ।
4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.4 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं अनुच्छेद संख्या 2.5 गृह, उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 114वां प्रतिवेदन ।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.10.3 (पृष्ठ संख्या 105-143) राज्य आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 115वां प्रतिवेदन ।
6. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 1.2.5 वित्त, उद्योग, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्यान, विज्ञान एवं तकनीकी विभागों से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 116वां प्रतिवेदन ।
7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 1.9.4 एवं 3.4 गृह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं वन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 117वां प्रतिवेदन ।
8. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 60वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 118वां प्रतिवेदन।
9. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 86वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 119वां प्रतिवेदन।
10. जनलेखा समिति, 2010-11 (तेरहवीं विधान सभा) के 51वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 120वां प्रतिवेदन।
11. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 10वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 121वां प्रतिवेदन।
12. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 11वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 122वां प्रतिवेदन।

जारी..8..

13. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 84वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 123वां प्रतिवेदन।
14. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 9वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 124वां प्रतिवेदन।
15. जनलेखा समिति, 2010-11 (तेरहवीं विधान सभा) के 52वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 125वां प्रतिवेदन।
16. जनलेखा समिति, 2011-12 के 102वें प्रतिवेदन में समाविष्ट गृह विभाग से संबंधित सिफ़ारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 126वां प्रतिवेदन।
17. जनलेखा समिति, 2010-11 (तेरहवीं विधान सभा) के 66वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 127वां प्रतिवेदन।
18. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2009-10 का प्रतिवेदन संख्या 5 के अध्याय-2 से 5 में समाविष्ट खान विभाग के अनुच्छेदों (2.1 से 5.6) से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 128वां प्रतिवेदन ।
19. जनलेखा समिति, 2010-11 (तेरहवीं विधान सभा) के 67वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 129वां प्रतिवेदन।
20. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 132वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 130वां प्रतिवेदन।
21. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 61वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 131वां प्रतिवेदन।
22. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 135वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 132वां प्रतिवेदन।
23. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2009-10 के प्रतिवेदन संख्या 5 के अध्याय-6 में समाविष्ट खान विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.15 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 133वां प्रतिवेदन।
24. जनलेखा समिति, 2012-13 (तेरहवीं विधान सभा) के 182वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 134वां प्रतिवेदन।

जारी..9..

25. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 103वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 135वां प्रतिवेदन।
26. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.4.1 पशुपालन, पर्यावरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागों से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 136वां प्रतिवेदन।
27. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 81वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 137वां प्रतिवेदन।
28. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 82वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 138वां प्रतिवेदन।
29. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 64वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 139वां प्रतिवेदन।
30. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 3.4.10 तथा वर्ष 2012-2013 का अनुच्छेद संख्या 2.2.2 एवं 2.2.3 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 140वां प्रतिवेदन।
31. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 53वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 141वां प्रतिवेदन।
32. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 34वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 142वां प्रतिवेदन।
33. जनलेखा समिति, 2012-13 (तेरहवीं विधान सभा) के 221वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 143वां प्रतिवेदन।
34. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 3.4.11 तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 144वां प्रतिवेदन।
35. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 40वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 145वां प्रतिवेदन।

जारी..10..

36. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 2.1 प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 146वां प्रतिवेदन।

37. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.4.8 वित्त, श्रम एवं नियोजन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 147वां प्रतिवेदन।

38. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 131वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 148वां प्रतिवेदन।

(II) श्री मोहन लाल गुप्ता, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 35वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 65वां प्रतिवेदन ;

2- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 62वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 66वां प्रतिवेदन ;

3- राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 64वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 67वां प्रतिवेदन ;

4- राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 65वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 68वां प्रतिवेदन ;

5- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-2008 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 73वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 69वां प्रतिवेदन ;

जारी.11.

6- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-99 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 के 94वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 70वां प्रतिवेदन ;

7- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-99 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 71वां प्रतिवेदन ;

8- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2000-2001 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के तीसरे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 72वां प्रतिवेदन ;

9- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2009-10 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 27वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 73वां प्रतिवेदन ;

(III) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सभापति, प्राक्कलन समिति 'क', 2016-2017 समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

(IV) श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति,अधीनस्थ विधान संबंधी समिति,2016-2017 समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

(V) श्री गोपाल कृष्ण, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख' ,2016-2017 समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

(VI) श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सभापति, याचिका समिति, 2016-2017 समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

(VII) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2016-2017 समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगी ।

(VIII) श्री नवनीतलाल,सभापति,अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति,2016-2017 समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

जारी.12.

6. वित्तीय कार्य

(क) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2016-2017 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन, मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2016-2017 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करेंगे । अनुपूरक अनुदान की मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

(ख) वर्ष 2012-2013 एवं वर्ष 2013-2014 की अतिरेक मांगों का उपस्थापन एवं वर्ष 2013-2014 की अतिरेक मांगों पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण ।

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री अतिरेक मांगें वर्ष 2012-2013 एवं वर्ष 2013-2014 का उपस्थापन करेंगे। (वर्ष 2012-2013 की अतिरेक मांगों में कोई दत्तमत्त राशि नहीं होने के कारण मांगें मतदान एवं पारण हेतु प्रस्तुत नहीं की जाएंगी)

वर्ष 2013-2014 की अतिरेक मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

7. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2016 का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-5) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्या-16)

"वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी.13.

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्या-14)

"31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिये स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(3) राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-4) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्या-15)

"31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2013-2014 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिये स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी.14.

8. संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु संकल्प

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

संकल्प

"यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) की परिधि के अन्तर्गत आने वाले संशोधन का, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, अनुसमर्थन करता है ।"

(अंग्रेजी अनुवाद)

Resolution

"That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clauses (b) and (c) of the proviso to clause (2) of Article 368, proposed to be made by the Constitution (One Hundred and Twenty Second Amendment) Bill, 2014, as passed by both of the Houses of Parliament."

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 01 सितम्बर, 2016